न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 00017/2011

उनवान

1. फकीरा पिता धुलिया जाति भील निवासी गढ़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. स्व. भीखा पिता हकरू जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के वारिसानः—
   1/1. शंकर पिता भीखा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
   1/2. कंकु पत्नि स्व. भीखा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रतिवादीगण ।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः29.7.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के दादा हकरू पिता कचरिया, जाति भील निवासी गढ़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा की खाता संख्या 431 नयी, पुरानी 436 संवत् 2036 से 2039 तक गांव बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के सर्वे नम्बर 1998 रकबा 9 बिस्वा, सर्वे नम्बर 1999 रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2000 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2001 रकबा 9 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2002 रकबा 7 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2003 रकबा 7 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2004 रकबा 4 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2005 रकबा 4 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2006 रकबा 3 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2007 रकबा 5 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2008 रकबा 9 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2012 रकबा 17 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2013 रकबा 5 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2014 रकबा 8 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2015 रकबा 9 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2016 रकबा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2017 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 10 बीघा ग्राम बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा राज. में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बर के नये सेटलमेंन्ट के दौरान नये सर्वे नम्बर 5947 रकबा 0.11 बीघा, सर्वे नम्बर 5949 रकबा 0.10 बीघा, सर्वे नम्बर 5950 रकबा 0.08 बीघा, सर्वे नम्बर 5951 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5952 रकबा 0.07 बीघा, सर्वे नम्बर 5953 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5954 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5955 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5957 रकबा 0.13 बीघा, सर्वे नम्बर 5958 रकबा 0.04 बीघा, सर्वे नम्बर 5959 रकबा 0.04 बीघा, सर्वे नम्बर 5960 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5961 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5962 रकबा 0.07 बीघा, सर्वे नम्बर [illegible] रकबा 0.15 बीघा, सर्वे नम्बर 5964 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5965 रकबा 0.0[illegible] बीघा, सर्वे नम्बर 5970 रकबा 0.10 बीघा, सर्वे नम्बर 5971 रकबा 0.09 बीघा, सर्वे नम्बर 597[illegible] रकबा 0.11 बीघा, सर्वे नम्बर 5999 रकबा 0.09 बीघा कुल किता [illegible] रकबा [illegible] के खेत [illegible] पिता कचरिया जाति भील निवासी गढ़ी के नाम [illegible] रिकार्ड थे एवं हकरू की [illegible] बाद मृतक हकरू के दो पुत्र धुलिया व भीखा दोनो उक्त खेतो पर काबिज होकर बरसो से काश्त करते आ रहे है। धुलिया की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर वादी व उसकी मॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

दोनो भी भीखा के स्थान पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। मूल पुरूष मृतक हकरू पिता कचरिया की वंशावली निम्नानुसार है।

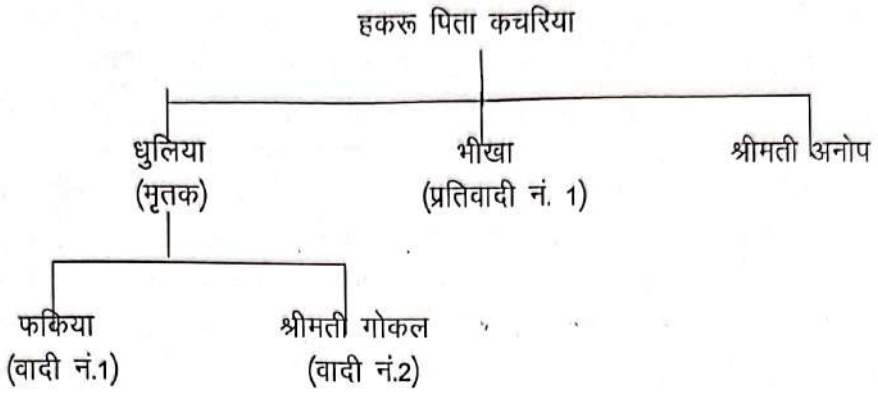

उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर बरसो से संयुक्त रूप काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मूल पुरूष श्री हकरू की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खाते की भूमि राजस्व अभियान पी.21 संख्या 560 दिनांक 30.5.1989 को पुरा खाता अपने नाम करा लिया है, जबकि कानूनन उक्त खाते की भूमि में मूल पुरूष हकरू के बडे पुत्र धुलिया एवं धुलिया की मृत्यु के बाद वादीगण का खाते में नाम जोडना था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो ये मिलका अभियान में उक्त भूमि को अपने नाम से खाते में करायी है जो विधि विरूद्ध होकर गैर कानूनी है। वाद दर्ज होने से दो माह पूर्व वादीगण को यह ज्ञात हुआ कि उक्त खाते की भूमि में प्रतिवादी नं..1 ने बैक कर्मचारियों से मिलकर चुपके से लोन ले रखा है जबकि इस लोन के सम्बन्ध में वादीगण के पिता व पति को कोई जानकारी नहीं है। इय सम्बन्ध में हल्का पटवारी से मिलकर उक्त राजस्व खाते की नकल प्राप्त करने पर वादीगण को यह ज्ञात हुआ। मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र धलिया और भीखा एव पत्नि अनोप का नाम खाते में दर्ज होना था जो नहीं हुआ। एवं अभी व वर्ष धुलिया की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उक्त खाते में वादीगण का नाम जोडे जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं वादीगण की अनुमति के बिना उक्त भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे एवं न ही किसी को बेचे और वादीगण को उक्त भूमि में काश्त करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वादी ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री त्रिभुवन गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब पेश कर कथन किया कि खातेदार स्व. हकरू पिता कचरिया के नाम से दर्ज भूमि जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 की खाता संख्या 431 नयी, 436 पुरानी में उल्लेखित सर्वेनम्बरान ग्राम बोरी में हैं। हकरू पिता कचरिया भील निवासी बोरी [illegible] संख्या 02 के ससुर नहीं होते है एवं न ही वादीगण स्व. हकरू के [illegible] उत्तराधिकारी या वारिसान है। वादी संख्या 1 के पिता स्व. [illegible] सगी–जन्मज संतान नहीं था। स्व. श्रीमती अनोप का जब [illegible] समय स्व. अनोप अन्य किसी से विवाह पूर्व गर्भवती [illegible] उकड़िया ने मूल पुरूष हकरू के साथ नातरा रीति–रिवाज तहत् स्व. अनोप को रखा। स्व. धुलिया का जन्म होने के बाद मूल पुरूष हकरू ने स्व. धुलिया को अपनी सगी अर्थात् जन्मज संतान के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। स्व. धुलजी 10 वर्ष का होने पर मूल पुरूष हकरू व माता

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

स्व. अनोप को छोडकर अपने संगे मामा श्री कचरू पिता उकडिया निवासी गढ़ी के पास रहा एवं 20 वर्ष करीब की आयु में उसने वादी संख्या 2 श्रीमती गोकुल के साथ नातरा विवाह किया। स्व. धुलिया मुल पुरूष हकरू का घर बार छोडने के बाद अपने जीवन काल में कभी भी वापस नहीं आया एवं न ही पुत्र के रूप में कभी कोई मांग की। स्व. धुलिया का पुत्र फकीरा वादी संख्या 01 के पास कोई कृषि भूमि व आय न होने से विवाह न हो पाने से उसके प्रार्थना पर पड़ौसी–रिश्तेदारों के द्वारा मदद करने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा आराजी सर्वे नम्बर 5950 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 5951 रकबा 0.06 एयर, खसरा संख्या 5952 रकबा 0.09 एयर कृषि भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ भाग में खेती कर कमाने हेतु दी एवं साथ में 2 बैल व 1 गाय दी उस समय स्व. धुलिया व गवाहान शंकर पिता नगलिया डाबी, पुनिया पिता कुरीया भील निवासी गढ़ी मणीलाल पिता करेंग भील, स्व. केरेंग भील निवासी डडूका मौजुद थें। उस समय मूल पुरूष हकरू अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मौजुद थे जिन्होंने मूल प्रतिवादी को ऐसा करने से मना भी किया था। उस समय भी स्व. धुलिया ने मेरे पिता या मेरे से उक्त खेतों हेतु अधिकार पूर्वक कोई मांग नहीं की। स्व. हकरू की मृत्यु वर्ष 1984 में होने पर एवं माता अनोज की वर्ष 2025 में मृत्यु होने बाद स्व. धुलिया अपनी माता की मृत्यु में भी शरीक नहीं हुआ। वादी संख्या 01 के पिता व वादी संख्या 02 के पिता स्व. धुलिया का मूल पुरूष हकरू के सगी संतान न होने उसे संतान रूप में कभी भी स्वीकार न करने, स्व. धुलिया का 60–70 वर्ष पूर्व घर–बार छोड़कर चले जाने स्व. धुलिया द्वारा कभी भी उक्त खेतों पर अपना हक–दावा न करने से वर्तमान में वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टेंन्डि न होने से वाद चलने योग्य नहीं है। तथा वाद समयावधि में भी नहीं होकर करीबन 22 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया। अतः वाद निरस्त करने का निवेदन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के संलगन प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत कियें:–

नाम	जाति	निवासी	ग्वाह
फकीरा पिता धुलिया	भील	गढ़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	PW-1
रामा पिता फकीरा	भील	गढ़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	PW-2
बदा पिता ताजेंग	यादव	गढ़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	PW-3

प्रकरण में फकीरा पिता धुलिया PW-1, रामा पिता फकीरा PW-2, बदा पिता ताजेंग PW-3 द्वारा शपथ–पत्र पेशकर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये कि :– स्व. हकरू पिता कचरिया जाति भील निवासी गढ़ी की जमीन गांव गढ़ी एवं बोरी दोनो गावों में स्थित है। हकरू की मृत्यु के [illegible] के दोनो पुत्र भीखा और धुलिया के नाम खाता दर्ज हुआ एवं [illegible] जिसके दो पुत्र वादी और प्रतिवादी है एवं दोनो ही स्व. हकरू के [illegible] माता अनुप के दोनो को जन्म दिया है एवं स्व. हकरू की मृत्यु के बाद उसके दोनो पुत्र भीखा और धुलिया उसकी सम्पत्ति के व जमीन जायदाद के व खाते की जमीन के मालिक बने है एवं इनकी एक अन्य खाते की जमीन गांव बोरी में स्थित है। जिसके लगभग 20–22 खेत होकर लगभग 10 बीघा जमीन है। इस जमीन को हकरू की मृत्यु के बाद उसके दोनो पुत्र भीखा और धुलिया कमाते थे और धुलिया की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फकीरा व उसकी माता श्रीमती

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गोकुल उक्त गांव बोरी की जमीन के उनके हिस्से में आयी जमीन में खेती करते है एवं आज भी गांव गढ़ी में स्थित जमीन व गांव बोरी में स्थित खेती कृषि भूमि की जमीन भीखा व उसके भाई का पुत्र फकीरा व उसकी माता संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से की जमीन में काश्त करते आ रहे है।

- **PW-1** फकीरा पिता धुलिया द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो इस प्रकार है। ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत 2036 से 39 प्रदर्श–1, नामा.सं. 560 दिनांक 30.5.89 प्रदर्श–2, ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत् 2064 से 67 प्रदर्श–3, ग्राम बोरी की जमाबन्दी खाता संख्या 755 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत 2064 से 67 मौजा गढ़ी प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2064 से 68 प्रदर्श–6, नामा. सं. 982 दिनांक 28.5.09 ग्राम गढ़ी प्रदर्श–7, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2064 से 67 दिनांक 28.6.2011 प्रदर्श–8, फर्द तुलनात्मक ग्राम बोरी प्रदर्श–9 ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी वंशावली (पिढ़ी नामा) दिनांक 31.1.2018 प्रदर्श–10, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र धुलिया पिता हकरू का प्रदर्श–11, गोकुल पत्नि धुलिया प्रदर्श–12, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2072 से 75 प्रदर्श–13, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र फकिरा पिता धुलिया प्रदर्श–14 है। गवाह फकिरा से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि वाद–पत्र, शपथ–पत्र, अतिरिक्त कोपी, रजिस्टर्ड पता, बकित पत्र एवं पत्रावली में मेरी माता के हस्ताक्षर, अंगुठा निशानी नहीं है। मेरे पिता गुजरात के मोड़ासा में बहुत समय पहले कमाने गये थे। यह बात गलत है कि मेरी पढाई गुजरात में हुई है। अजखुद कहा कि में अनपढ हूँ। वाद में प्रस्तुत दस्तावेज में ही लाया हूँ। प्रदर्श–1 संवत 2036 से 39 दिनांक 14. 7.09 को मेने लिया हे। यह सही है कि वाद–पत्र में बताये सर्वे नम्बर मुझे मौखिक याद नहीं है। मुझे खेतो के नाम याद नहीं है। खेत में भी कमा रहा हूँ। तीन खुणिया खेत के पास मोहम्मद इसाक का खेत है यह बात सही है कि मेरी बहन काली पत्नि कचरा निवासी गढी में रहती है। यह सही है कि मेने अपनी बहन का कोई चुनाव सम्बन्धी पहचान–पत्र पेश नहीं किया है। मेने अपने दादा हकरू पिता कचरिया का चुनाव सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वर्तमान गढी सरपंच मेरे मामा का लड़का है। मेरे मामा कचरू पिता उकडिया के घर पर मेरे पिताजी व माता रहे परन्तु हमारा पुराना घर गढ़ी में था जो बेचान कर दिया है। व गढ़ी में मेरा मकान अभी है यह बात सही है कि प्रतिवादी सभी ग्राम बोरी में रहते है। यह बात सही है कि मेने जो शपथ–पत्र गवाह के रूप में पेश किया है उस पर मेरे हस्ताक्षर गुजराती भाषा में है। हकरू की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व हुई है। यह गलत है कि अनोप के पिता उकडिया ने मूल पुरूष हकरू के साथ नातरा किया हो। अनोप की मृत्यु करिब 8–10 वर्ष पूर्व हुई है। यह बात सही है कि श्रीमती अनोप के चुनाव सम्बन्धित एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र के दस्तावेज पेश नहीं किये गये। यह बात सही है कि मेरी बहन काली है। वह भी सरपंच साहब को पता है। वाद–पत्र की द्वितीय कोपी में सत्यापन में 2 के बजाय 1 जगह मेरे हस्ताक्षर है। ... के साथ संलग्न शपथ–पत्र पर गोकुल के हस्ताक्षर नहीं है। वा... का दावा ग्राम बोरी का है। यह बात सही है कि ... भीखा, अनोप व हकरू के जीवनकाल में किसी ने ... कि वादग्रस्त भूमि में भीखा के नाम दर्ज है जि... मेरे पिता ने दावा पेश नहीं किया। अजखुद कहा कि वादग्रस्त बोरी वाली जमीन भीखा व मेरे पिता हम सब कमा रहे थे। यह बात सही है कि वाद–पत्र में मेने अपना निवास स्थान गढ़ी ही बता रखा है। यह बात सही है। कि मेने चुनाव सम्बन्धीत जो दस्तावेज पेश किये है

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

उसमें भी निवास स्थान गढ़ी है। यह बात सही है कि फसल खराबे के पैसे आज तक हमे नहीं मिले है।

- **PW-2** रामा पिता फकीरा से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गढ़ी व बोरी में है। मेरी कृषि भूमि ग्राम गढ़ी में है, इसके अलावा कही नहीं है बदा पिता ताजेंग वादी का मामा लगता है मेरा घर गढ़ी में तथा फकिरा का घर नई आबादी गढ़ी में है। यह बात सही है कि वादी का पिता मोड़ासा में धन्धा करता था। यह बात सही है कि मेरे ग्राम बोरी में कोई कृषि भूमि नहीं है। यह बात सही है कि मुझे वादी लेकर आया है। वादग्रस्त भूमि 10 बीघा है। यह बात सही कि कि वादी के पिता धुलिया ने कोई दावा पैश नहीं किया है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये:—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
शंकरलाल पिता भीखा	भील	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	DW-1
चतुरा पिता हलीया	भील	आडेवाला बोरी तह. गढ़ी जिला बांसवाडा।	DW-2
नरेश पिता शंकरलाल	भील	आडेवाला बोरी तह. गढ़ी जिला बांसवाडा।	DW-3

प्रकरण में शंकरलाल पिता भीखा **PW-1,** चतुरा पिता हलीया **PW-2,** नरेश पिता शंकरलाल **PW-3** द्वारा शपथ—पत्र पेषकर समान रूप से कथन किये कि वाद में वर्णित गांव बोरी तहसील गढ़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नई 431, पुरानी 436 संवत् 2036—2039 में उल्लेख सर्वे नम्बर की भूमि के खातेदार स्वर्गीय श्री हकरू पिता कचरिया भील निवासी बोरी वादीगण में से वादी संख्या 01 के दादा एवं वादी संख्या 02 के ससुर नहीं होते हैं एवं न ही वादीगण स्वर्गीय हकरू के वैद्य—कानुनन उत्तराधिकारी वारिसान है। उक्त खाते के खेत मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया जाति भील निवासी बोरी के नाम दर्ज रेकॉर्ड पूर्व में होना स्वीकार है परन्तु यह अस्वीकार है कि स्वर्गीय धुलिया स्वर्गीय हकरू का वैद्य पुत्र होकर उक्त खेतों पर काबिज होकर प्रतिवादी भीखा के साथ वर्षो से काश्त करते आ रहे हो एवं स्व. श्री धुलिया की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर वादी फकीरा व उसकी माँ श्रीमती गोकुल दोनों प्रतिवादी भीखा के साथ संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। वादी संख्या 01 के पिता व वादी संख्या 02 के पति, स्वर्गीय धुलिया उक्त वादग्रस्त काश्त के मूल पुरूष हकरू के सगा पुत्र न होने से वैद्य उत्तराधिकारी व वारिसान नहीं है। वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य एवं वर्णित वंशावली भी अस्वीकार है जो कि स्वर्गीय धुलिया मूल पुरूष हकरू का वैद्य पुत्र नहीं था, जिससे वादी संख्या 01, वादी संख्या 02 का मूल पुरूष हकरू का वंशज अस्वीकार है स्वर्गीय श्री धुलिया का मूल पुरूष हकरू का सगा पुत्र न होने से व कभी वैद्य उत्तराधि कारी व वारिसान नहीं है एवं कभी भी स्वर्गीय धुला का ही उपरोक्त कृषि भूमि पर न तो स्वत्व रहा है एवं न ही प्रतिवादी के साथ [illegible] हो, खेती काश्त की है, जिससे वादीगण का स्वर्गीय धुलि[illegible] स्वत्व व संयुक्त कब्जा हो, खेती काश्त करना पू[illegible] है कि स्वर्गीय धुलिया मूल पुरूष का सगा जन्मज पुत्र नहीं [illegible] किसी कारण से मूल पुरूष हकरू की कृषि भूमि में अपने हक अधिकार से [illegible] कृषि भूमि में कभी भी मांग नहीं की एवं उसने सगे जन्मज पुत्र न होने से अपनें समस्त अधिकार हक हकूक का गवाहान समक्ष अपना हक त्यज्य कर दिया था चूंकि वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय धुलिया का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

हक–हकूक अधिकार स्वत्व नहीं रहा था तो स्वर्गीय धुलिया के वंशज वारिसान किसी भी प्रकार का अधिकार हक की मांग चलने योग्य नहीं है एवं वादीगण की प्रकरण में लोकस स्टेन्डिंय योग्य नहीं है। जिससे वे कोई वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 01 व उसकी माता स्वर्गीय अनोप द्वारा 2003 में बैंक ऋण लिया गया। जो कि उक्त कृषि भूमि पर मात्र उनका स्वत्व, व एकल कब्जा काश्त आधार पर स्वीकृत किया गया, जिसकी जानकारी भी स्वर्गीय धुलिया व उनके वारिसान हाल वादीगण को ऋण प्राप्त करने के समय से है। वादी के पिता धुलिया की मृत्यु वर्ष 2009 में होने पर भी वादीगण द्वारा कभी भी ऐसी मांग नहीं की है। प्रतिवादी नम्बर 01 का वादग्रस्त भूमि पर एकल स्वामित्व आधिपत्य होकर भलीभांति काश्त कर रहा है एवं वादीगण का उक्त खेतों पर कोई हक हकूक अधिकार नहीं होने से उन्होंने इन खेतों में कभी भी काश्त नहीं की है एवं न ही ऐसा करने का उन्हें अधिकार है, जब प्रतिवादीगण ने इस भूमि पर कभी भी काश्त ही नहीं की है तो वर्तमान में उन्हों दुविधा उत्पन्न होने का तथ्य असंगत व अस्तय है। वाद चरण संख्या 04 में यह वादीगण द्वारा इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ऋण लेने का कथन किया गया है ऐसे में प्रतिवादी नम्बर 01 न तो इस कृषि भूमि को न तो बैचने का इच्छुक हैं, न ही ऐसा कर रहा है। वादीगण के पिता – पति स्वर्गीय धुलिया व वादीगण को वर्ष 1989 में यह ज्ञात हो गया था कि मूल पुरूष हकरू द्वारा पंचायत समिति गढ़ी से कुंए व रेहन बाबत् भूगतान न करने से कृषि भूमि कुर्क की जाकर निलामी की जा रही हैं तबप्रतिवादी नम्बर 01 ने वादीगण व अन्य की जानकारी में अपने पिता का समस्त ऋण उनके जीवनकाल में अदा कर नये सिरे से जमीन पी. –21 के द्वारा दिनांक 30/05/1989 को आवंटित कराई गई एवं प्रतिवादी नम्बर 01 उस पर पूर्व से ही काश्त करता आ रहा है एवं स्वामित्व कब्जे काश्त के आधार पर वर्ष 2003 में बैंक ऋण प्राप्त किया जिसकी भी जानकारी पूर्व में स्वर्गीय धुलिया एवं वादीगण को भलीभांति रही है। वादी संख्या 01 के पिता, वादी संख्या 02 के पति स्व. धुलिया मूल पुरूष हकरू की सगी जन्मज संतान नहीं था। स्वर्गीय श्रीमती अनोप का मूल पुरूष हकरू से सम्बन्ध हुआ उस समय स्वर्गीय अनो अन्य किसी से विवाह पूर्व गर्भवती होने से स्वर्गीय अनोप के पिता उकडीया ने हकरू के साथ नातरा रिती रिवाज तहत स्वर्गीय अनोप को रखा, स्वर्गीय धुलिया का जन्म होने के बाद मुल पुरूष हकरू स्वर्गीय धुलिया को अपनी सगी अर्थात जन्मज संतान के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। स्वर्गीय धुलिजी 10 वर्ष का होने पर मूल पुरूष हकरू व स्वर्गीय अनोप को छोडकर अपने सगे मामा श्री कचरू पिता उकडिया निवासी गढ़ी के पास रहा एवं 20 वर्ष करीब की आयु में उसने वादी संख्या 02 श्रीमती गोकुल के साथ नातरा विवाह किया। स्वर्गीय धुलिया मूल पुरूष हकरू का घर – बार छोड़ने के बाद अपने जीवनकाल में कभी भी वापस नहीं. आया एवं न ही पुत्र के रूप में कोई मांग की । स्वर्गीय धुलिया का पुत्र फकीरा वादी संख्या 01 के पास कोई कृषि भूमि व आय न होने से विवाह न होने से उसके प्रार्थना पर पड़ौसी रिश्तेदारों द्वारा मदद करने का कहने पर प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा आराजी सर्वे नम्बर 5950 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 5951 रकबा 0.06 एयर, खसरा नम्बर 5952 रकबा 0.09 एयर कृषि भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ भाग कर कमाने हेतु दी गई व उसके साथ में दो बेल व एक गाय दी उस [illegible] धुलिया व गवाहान शंकर पिता नगलिया डाबी, पुनिया पिता [illegible] पिता केरेंग भी, स्वर्गीय केरेंग भी निवासी डडूका मौजुद थे, उस समय मूल पुरूष हकरू अर्थात प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मौजुद थे, जिन्होंने मूल प्रतिवादी को ऐसा करने से मना भी किया था उस समय भी स्वर्गीय धुलिया ने मेरे पिता या मेरे से उक्त खेतों हेतु अधिकार पूर्वक कोई मांग नहीं की। स्वयं हकरू की मृत्यु वर्ष 1984 में होने पर एवं माता अनोप की वर्ष 2005 में मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय धुलिया द्वारा उक्त खेतों में कभी भी अपने जीवनकाल में मांग

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की गई। यहां तक की स्वर्गीय धुलिया अपनी माता की मृत्यु में भी शरीक नहीं हुआ। वादी संख्या 01 के पिता व 02 के पति स्वर्गीय धुलिया का मूल पुरूष हकरू की सगी संतान न होने उसे संतान रूप में कभी स्वीकार न करने से स्वर्गीय धुलिया का 60–70 वर्ष पूर्व घर बार छोडकर चले जाने स्वर्गीय धुलिया द्वारा कभी भी उक्त खेतों पर अपना हक दावा नहीं किया है

- **DW-1** शंकरलाल पिता भीखा द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो इस प्रकार है। जमाबंदी संवत् 2052 से 55 प्रदर्श A-1, जमाबंदी संवत 2056 से 59 प्रदर्श A-2, जमाबंदी संवत् 2060 से 63 प्रदर्श A-3, जमाबंदी 2064 से 67 प्रदर्श A-4, पेश है। गवाह शंकरलाल से वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन कृषि भूमि का मूल खातेदार हकरू पिता कचरिया था यह बात सही है। यह गलत है कि गावं गढी में व गांव बोरी में दोनों स्थानों पर स्वर्गीय हकरू का खाता हो बल्कि बोरी में ही खाता है। यह सही है कि मुल खातेदार हकरू पिता कचरीया की मृत्यु हुए 50 वर्ष बित गये है। मेरे पिताजी मरे और 5–6 वर्ष बित गये है। मेरे दादी का नाम श्रीमती अनुप था। उनकी मृत्यु हुए लगभग 40 वर्ष हो गये है। यह कहना सही है कि मेरे दादा व दादी की मृत्यु हुई तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। गढी में मेरे पिता धुलिया के नाम हो यह मुझे पता नहीं। गढी में मेरे नाम से कोई जमीन नहीं है। यह बात मुझे पता नहीं की मेरे दादा के दो पुत्र हकरू व धुला हो। यह सही है कि बोरी में जो कृषि भूमि है वह मेरे पिता भीखा को हकरू से प्राप्त हुई थी। यह मुझे पता नहीं की वादग्रस्त कृषि भूमि धुलिया व भीखा के नाम होनी हो। यह मुझे पता नहीं कि मेरे पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि हकरू की मृत्यु के बाद अपने नाम कराली हो व धुलिया का नाम न लिखाया हो। यह गलत है मुल खातेदार हकय पिता कचरीया की मृत्यु के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि बोरी में भीखा के साथ कृषि कर रहा हो। यह बात सही है कि मेरे पिता भीखा व धुलिया दोनो की मृत्यु हो गई है। यह बात गलत है कि भीखा व धुलिया की मृत्यु के बाद में व फकीरा संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हो। यह बात गलत है कि में व फकीरा संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हो। मैं क्याल 3 तक पडा हूँ। व हिन्दी पढना नहीं जानता हूँ। मै नहीं बता सकता की प्रदर्श–5 की जमाबंदी में खातेदार के नाम के कॉलम में धुलिया, भीखा पिताहकरू लिखा हो तो मैं नहीं कह सकता। यह प्रदर्श–6 में भीखा धुलिया पिता हकरू व अनुप बेवा हकरू लिखा हो। यह मुझे पता नही की वादी फकीरा के पिता का नाम धुलिया हो। यह भी मुझे नहीं पता कि धुलिया के पिता का नाम हकरू पिता कचरीया हो। यह गलत है कि मेरे पिता भीखा पुत्र हकरू व अंनुप बेवा हकरू गढ़ी के निवासी हो। यह मुझे पता नहीं की मेरे द्वारा पेश दस्तावेज़ जमाबंदी संवत् 2052–55 ग्राम बोरी में खातेदार के स्थान पर भीखा पिता हकरू अनोप बेवा हकरू सा. गढ़ी लिखा हो तो मुझे पता नहीं। यह मुझे पता नहीं कि मेरे द्वारा पेश प्रदर्श A - 2, A - 3 में भी खातेदार के नाम के स्थान पर भीख पिता हकरू व अ[illegible] हकरू सा. गढ़ी लिखा होतो मुझे पता नहीं। यह बात गलत है कि मेरे [illegible] पुत्र हकरू व अनोप बेवा हकरू गांव गढ़ी के निवा[illegible] पिता भीखा बोरी के निवासी हो इस बात के मेने मेरे [illegible] बोरी के निवासी होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह [illegible] है कि मेरी दादी अनुप बेवा हकरू गांव बोरी की निवासी हो इस सम्बन्ध में कोइ दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादीगण ओर में मूल खातेदार हकरू के वशांवली के हो तो मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं कि धुलियां व भीखा सगे भाई हो। मेरी दादी अनुप के पिता का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मुझे मालुम नहीं है। यह सही है कि मेरी दादी अनुप के मामा का नाम भी मुझे पता नहीं है। मेरी दादी अनुप की शादी हकरू से हुई हो तो मुझे पता नहीं। मेरे दादा हकरू ने कितनी शादिया की मुझे पता नहीं। यह गलत है कि वादग्रस्त भूमि वादी फकिरा से छिन लेने के उद्देश्य से मेने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में सारे तथ्य झुठे लिखे है और इसिलिये में आज झुठ बोल रहा हूँ।

पत्रावली में बकुलाय की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि गांव बोरी की वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया के नाम थी। जिसे प्रतिवादी भीखा ने अपने नाम करा ली। हकरू के दो पुत्र भीखा व धुलिया है। गांव गढ़ी की जमिन में दोनो का नाम दर्ज रिकार्ड है। गांव बोरी के जमिन में केवल भीखा का नाम दर्ज हैं। जिसे जुडाने हेतु दावा पेष किया है। प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दावा वर्ष 2011 में पेष हुआ। जिस पर वादी के हस्ताक्षर नहीं है। दावा सी.पी. सी. के आदेष 7 नियम 11 के तहत् विधि विरूद्ध है। धुलिया की मृत्यु वर्ष 2009 में हुई। तथा दावा 2011 में पेष किया गया । धुलिया ने अपने जीवन काल में दावा नहीं किया। नामान्तरण 30.9.1989 को हुआ व 30 वर्ष तक धुलिया ने दावा पेष नहीं कर उसके पुत्र फकीरा ने दावा पेष किया। वादी ने गवाह भी गढ़ी का पेष किया है। मौके पर प्रतिवादी काबिज है। वादी अभिभाषक ने पुनः अपनी बहस में बताया की दावे का एक ही व्यक्ति सत्यापन कर सकता है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में गढ़ी में जमीन न होना अस्वीकार नहीं किया है। बहस पर मनन करने व वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत 2036 से 39 प्रदर्श–1, नामा.सं. 560 दिनांक 30.5.89 प्रदर्श–2, ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत् 2064 से 67 प्रदर्श–3, ग्राम बोरी की जमाबन्दी खाता संख्या 755 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत 2064 से 67 मौजा गढ़ी प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2064 से 68 प्रदर्श–6, नामा. सं. 982 दिनांक 28.5.09 ग्राम गढ़ी प्रदर्श–7, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2064 से 67 दिनांक 28.6.2011 प्रदर्श–8, फर्द तुलनात्मक ग्राम बोरी प्रदर्श–9 ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी वंशावली (पिढ़ी नामा) दिनांक 31.1.2018 प्रदर्श–10, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र धुलिया पिता हकरू का प्रदर्श–11, गोकुल पत्नि धुलिया प्रदर्श–12, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2072 से 75 प्रदर्श–13, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र फकिरा पिता धुलिया प्रदर्श–14 है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2052 से 55 प्रदर्श A-1, जमाबंदी संवत 2056 से 59 प्रदर्श A-2, जमाबंदी संवत् 2060 से 63 प्रदर्श A-3, जमाबंदी 2064 से 67 प्रदर्श A-4, का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 01:– आया वादी संख्य 01 के दादा व वादी संख्या 02 के ससुर स्व. श्री हकरू पिता कचरिया भील निवासी बोरी के नाम मौजा बोरी खाता संख्या 431 नई, 436 पुरानी के कुल सर्वे नम्बर 22 कुल रकबा 1.64 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड थी।

(वादीगण साबित करें)

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत 2036 से 39 प्रदर्श–1, नामा.सं. 560 दिनांक 30.5.89 प्रद[illegible] बोरी की जमाबन्दी खाता संख्या 755 प्रदर्श–4, फर्द तुलना[illegible] किया। वादी साक्ष्य के रूप में गवाह फकीरा पिता धुलिया PW-1, [illegible] पिता [illegible] PW-2 एवं बदा पिता ताजेंग PW-3 का शपथ–पत्र पे[illegible]त कराया कि स्व. हकरू पिता कचरिया जाति भील निवासी गढ़ी कीक जमीन गांव गढ़ी एवं बोरी दोनों गांवो में स्थित है। गांव बोरी में स्थित जमीन जिसके लगभग 20–22 खेत होकर लगभग 10 बीघा जमीन है। इस जमीन पर हकरू की मृत्यु के बाद उसके दोनो पुत्र भीखा और धुलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

कमाते थे और धुलिया की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फकीरा व उसकी माता श्रीमती गोकुल उक्त गांव बोरी की जमीन के उनके हिस्से में आयी भूमि पर खेती करते है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि खातेदार स्व. हकरू पिता कचरिया के नाम ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 की खाता संख्या 431 नयी, 436 पुरानी में उल्लेखीत सर्वे नम्बरान दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो एवं गवाहो के शपथ–पत्र एवं बयानो तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित होता है कि ग्राम बोरी के खाता संख्या 431 नई, 436 पुरानी के कुल सर्वे नम्बर 22 कुल रकबा 1.64 हैक्टर भूमि वादी के दादा स्व. श्री हकरू पिता कचरिया भील निवासी बोरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– आया मूल पुरूष स्व. हकरू के फौत होने के बाद प्रश्नगत भूमि में हकरू के दो पुत्र धुलिया व भीखा दोनो काबिज होकर काष्त करते आ रहे है एवं धुलिया की मृत्यु के बाद वादी व उसकी मॉ दोनो भीखा के साथ संयुक्त रूप से काष्त करते आ रहे है। प्रष्नगत भूमि पैतृक होने से वादीगण खातेदार घोषित करने की पात्रता रखते है। (वादीगण साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में वादी द्वारा दस्तावेज ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत 2036 से 39 प्रदर्श–1, नामा.सं. 560 दिनांक 30.5.89 प्रदर्श–2, ग्राम बोरी की जमाबन्दी खाता संख्या 755 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत 2064 से 67 मौजा गढ़ी प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2064 से 68 प्रदर्श–6, नामा. सं. 982 दिनांक 28.5.09 ग्राम गढ़ी प्रदर्श–7, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2064 से 67 दिनांक 28.6.2011 प्रदर्श–8, फर्द तुलनात्मक ग्राम बोरी प्रदर्श–9 ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी वंशावली (पिढ़ी नामा) दिनांक 31.1.2018 प्रदर्श–10, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र धुलिया पिता हकरू का प्रदर्श–11, गोकुल पत्नि धुलिया प्रदर्श–12, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2072 से 75 प्रदर्श–13, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र फकिरा पिता धुलिया प्रदर्श–14 पेश किया। साक्ष्य स्वरूप गवाह फकीरा पिता धुलिया PW-1, रामा पिता फकीरा PW-2, एवं बदा पिता ताजेंग PW-3 का शपथ–पत्र पेष कर समान रूप से कथन किया कि स्व. हकरू पिता कचरिया जाति भील निवासी गढ़ी की जमीन गांव गढ़ी एवं बोरी दोनों गांवो में स्थित है। गांव बोरी में स्थित जमीन जिसके लगभग 20–22 खेत होकर लगभग 10 बीघा जमीन है। इस जमीन पर हकरू की मृत्यु के बाद उसके दोनो पुत्र भीखा और धुलिया कमाते थे और धुलिया की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फकीरा व उसकी माता श्रीमती गोकुल उक्त गांव बोरी की जमीन के उनके हिस्से में आयी भूमि पर खेती करते है। एवं आज भी गांव गढी में स्थित जमीन व गांव बोरी में स्थित खेती की कृषि भूमि की जमीन भीखा व उसके भाई का पुत्र फकीरा व उसकी माता संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से की जमीन में काश्त करते आ रहे है। उक्त तनकी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2052 से 55 प्रदर्श A-1, जमाबंदी संवत 2056 से 59 प्रदर्श A-2, जमाबंदी संवत् 2060 से 63 प्रदर्श A-3, जमाबंदी 2064 से [illegible] A-4 पेश कर गवाह शंकरलाल पिता भीखा DW-1, चतुरा पिता [illegible] DW-2 [illegible] शंकरलाल जाति भील DW-3 के शपथ–पत्र पेश कर संयुक्त रूपय से [illegible] किया कि वादी मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया के वैद्य–कानून [illegible] न ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आरहे है। वादी के पिता धुलिया मूल पुरूष हकरू का सगाह जन्मज पुत्र नहीं था। इसलिए धुलिया ने अपने जीवनकाल में हकरू की सम्पत्ति में हक–अधिकार नहीं मांगा। धुलजी 10 वर्ष होने पर मूल पुरूष हकरू व अनोप को छोड कर अपने सगे मामा कचरू पिता उकडिया निवासी गढ़ी के पास रहा है एवं 20 वर्ष

खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करीब की आयु में उसने गोकुल के साथ नातरा विवाह किया। धुलिया मुल पुरूष हकरू
का घर – बार छोड देने के बाद कभी वापस नहीं आया। वादी के पास कोई कृषि भूमि
व आय न होने से विवाह न होने से उसके प्रार्थना पर व पड़ौसी, रिश्तेदारों द्वारा मदद
करने का कहन पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सर्वे नम्बर 5950 रकबा 0.08 सर्वे नम्बर
5951 रकबा 0.06 एयर, सर्वे नम्बर 5952 रकबा 0.09 एयर कृषि भूमि प्रतिवादी नम्बर 01
के साथ भाग कर कमाने हेतु दी। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में ऐसा
कोई ठोस आधार एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो की वादी मूल
पुरूष हकरू पिता कचरिया का वंशज नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त
दस्तावेजो एवं साक्ष्यो के अवलोकन के यह साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि वादी की
पैत्रक है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित
की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– आया मौजा बोरी की खाता संख्या 431 नई, 436 पुरानी संवत्
2036 से 2039 में उल्लेखित सर्वे नम्बरान् की भूमि स्व. हकरू पिता कचरिया भील
निवासी बोरी के नाम दर्ज थी। मूल पुरूष हकरू वादी संख्या 1 के दादा व वादी संख्या
2 के ससुर नही होतें है एवं न ही वादीगण स्व. हकरू के वैध एवं कानूनन् उत्तराधिकारी
है। (प्रतिवादी संख्या 01 साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा गवाह शंकरलाल पिता भीखा DW-1, चतुरा पिता हलीया DW-2 व नरेश पिता शंकरलाल जाति भील DW-3 के
शपथ–पत्र पेश कर संयुक्त रूपय से कथन किया कि वादी मूल पुरूष हकरू पिता
कचरिया के वैद्य–कानूनन उत्तराधिकारी नहीं है। न ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर
काश्त करते चले आरहे है। वादी के पिता धुलिया मूल पुरूष हकरू का सगाह जन्मज
पुत्र नहीं था। इसलिए धुलिया ने अपने जीवनकाल में हकरू की सम्पत्ति में
हक–अधिकार नहीं मांगा। धुलजी 10 वर्ष होने पर मूल पुरूष हकरू व अनोप को छोड
कर अपने सगे मामा कचरू पिता उकडिया निवासी गढ़ी के पास रहा है एवं 20 वर्ष
करीब की आयु में उसने गोकुल के साथ नातरा विवाह किया। धुलिया मुल पुरूष हकरू
का घर – बार छोड देने के बाद कभी वापस नहीं आया। उक्त तनकी के विरूद्ध वादी
द्वारा दस्तावेज ग्राम बोरी की जमाबंदी संवत 2036 से 39 प्रदर्श–1, नामा.सं. 560 दिनांक
30.5.89 प्रदर्श–2, ग्राम बोरी की जमाबन्दी खाता संख्या 755 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत
2064 से 67 मौजा गढ़ी प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2064 से 67 प्रदर्श–6, नामा. सं. 982
दिनांक 28.5.09 ग्राम गढ़ी प्रदर्श–7, जमाबंदी ग्राम गढ़ी संवत 2064 से 67 दिनांक 28.6.
2011 प्रदर्श–8, फर्द तुलनात्मक ग्राम बोरी प्रदर्श–9 ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी
वंशावली (पिढ़ी नामा) दिनांक 31.1.2018 प्रदर्श–10, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र
धुलिया पिता हकरू का प्रदर्श–11, गोकुल पत्नि धुलिया प्रदर्श–12, जमाबंदी ग्राम गढ़ी
संवत 2072 से 75 प्रदर्श–13, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र फकिरा पिता धुलिया
प्रदर्श–14 पेश किया। वादी साक्ष्य के रूप में गवाह फकीरा पिता धुलिया PW-1, रामा
पिता फकीरा PW-2, एवं बदा पिता ताजेंग P[illegible] शपथ–पत्र पेष कर समान रूप
से कथन किया कि स्व. हकरू [illegible] भील निवासी गढ़ी की जमीन गांव
गढ़ी एवं बोरी दोनों गांवो में स्थित है। गांव बोरी [illegible] जमीन जिसके लगभग 20–22
खेत होकर लगभग 10 बीघा जमीन है। इस जमीन पर हकरू की मृत्यु के बाद उसके
दोनो पुत्र भीखा और धुलिया कमाते थे और धुलिया [illegible] मृत्यु के बाद उसका पुत्र फकीरा
व उसकी माता श्रीमती गोकुल उक्त गांव बोरी की जमीन के उनके हिस्से में आयी भूमि
पर खेती करते है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्यो के अवलोकन तथा ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया की वंशावली एवं ग्राम गढ़ी की जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के खाता संख्या 238 नयी, 453 पुरानी कुल खेत 2 रकबा 0.06 हे0 प्रदर्श–5 एवं ग्राम गढ़ी की एक अन्य जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के खाता संख्या 343 नया, 286 पुराना के कुल खेत 5 रकबा 0.34 हे0 प्रदर्श–6 जिसमें मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया व वादी के पिता धुलिया पिता हकरू कि मृत्यु उपरान्त संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इन सब से यह साबित होता है कि वादी मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया के वंशज होकर कानूनन उत्तराधिकार है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– आया प्रष्नगत भूमि में मूल पुरूष हकरू की मृत्यु के पष्चात् स्व. धुलिया स्व. हकरू का सगा पुत्र नहीं था इस कारण स्व. धुलीया के वारिसान द्वारा 88 रा.का. अधिनियम के तहत् खातेदार घोषित करने के पात्र नहीं है।

(प्रतिवादी संख्या 01 साबित करे)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा गवाह शंकरलाल पिता भीखा DW-1, चतुरा पिता हलीया DW-2 व नरेश पिता शंकरलाल जाति भील DW-3 के शपथ–पत्र पेश कर संयुक्त रूपय से कथन किया कि वादी मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया के वैद्य–कानूनन उत्तराधिकारी नहीं है। न ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आरहे है। वादी के पिता धुलिया मूल पुरूष हकरू का सगाह जन्मज पुत्र नहीं था। इसलिए धुलिया ने अपने जीवनकाल में हकरू की सम्पत्ति में हक–अधिकार नहीं मांगा। धुलजी 10 वर्ष होने पर मूल पुरूष हकरू व अनोप को छोड कर अपने सगे मामा कचरू पिता उकडिया निवासी गढ़ी के पास रहा है एवं 20 वर्ष करीब की आयु में उसने गोकुल के साथ नातरा विवाह किया। धुलिया मुल पुरूष हकरू का घर – बार छोड देने के बाद कभी वापस नहीं आया। उक्त तनकी के विरूद्ध वादी द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में गवाह फकीरा पिता धुलिया PW-1, रामा पिता फकीरा PW-2, एवं बदा पिता ताजेंग PW-3 का शपथ–पत्र पेष कर संयुक्त कथन किया कि स्व. हकरू पिता कचरिया जाति भील निवासी गढ़ी की [illegible] एवं बोरी दोनों गांवो में स्थित है। गांव बोरी में स्थित जमीन जिसके [illegible] 22 खेत होकर लगभग 10 बीघा जमीन है। इस जमीन पर हकरू की मृत्यु के बाद उसके दोनो पुत्र भीखा और धुलिया कमाते थे और धुलिया की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फकीरा व उसकी माता श्रीमती गोकुल उक्त गांव बोरी की जमीन के उनके हिस्से में आयी भूमि पर खेती करते है। वादी द्वारा दस्तावेज ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी वंशावली दिनांक 31.1.2018 प्रदर्श–10, जमाबंदी संवत 2064 से 67 मौजा गढ़ी प्रदर्श–5 एवं जमाबंदी संवत 2064 से 67 प्रदर्श–6 पेश किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यो में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो की वादी के पिता धुलिया मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया का सगा पुत्र नहीं हो। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादी के पिता धुलिया मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया की संतान होकर ग्राम गढ़ी की भूमि में सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– आया स्व. धुलिया का जन्म होने के बाद मूल पुरूष हकरू ने स्व. धुलिया को अपनी सगी अर्थात जन्मज सन्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया।

(प्रतिवादी संख्या 01 साबित करें)

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा गवाह शंकरलाल पिता भीखा DW-1, चतुरा पिता हलीया DW-2 व नरेश पिता शंकरलाल जाति भील DW-3 के शपथ–पत्र पेश कर संयुक्त रूपय से कथन किया कि वादी मूल पुरूष हकरू पिता कचरिया के वैद्य–कानूनन उत्तराधिकारी नहीं है। न ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आरहे है। वादी के पिता धुलिया मूल पुरुष हकरू का सगाह जन्मज पुत्र नहीं था। इसलिए धुलिया ने अपने जीवनकाल में हकरू की सम्पत्ति में हक–अधिकार नहीं मांगा। धुलजी 10 वर्ष होने पर मूल पुरूष हकरू व अनोप को छोड कर अपने सगे मामा कचरू पिता उकडिया निवासी गढ़ी के पास रहा है एवं 20 वर्ष करीब की आयु में उसने गोकुल के साथ नातरा विवाह किया। धुलिया मुल पुरूष हकरू का घर – बार छोड देने के बाद कभी वापस नहीं आया। उक्त तनकी के विरूद्ध वादी द्वारा दस्तावेज जमाबंदी संवत 2064 से 67 मौजा गढ़ी प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2064 से 67 प्रदर्श–6, ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा जारी वंशावली (पिढ़ी नामा) दिनांक 31.1.2018 प्रदर्श–10, चुनाव आयोग का पहचान–पत्र धुलिया पिता हकरू का प्रदर्श–11 पेश किया। प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं जिससे यह साबित हो कि स्व. धुलिया को मूल पुरूष हकरू ने अपनी संतान के रूप में नहीं माना। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजो से यह साबित होता है कि स्व. धुलिया के पिता का नाम हकरू दर्ज है। तथा ग्राम गढ़ी में हकरू के नाम दर्ज भूमि में हकरू की मृत्यु के उपरान्त धुलिया का वारिसान का नामान्तरण भी दर्ज हुआ है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 06 अनुतोष :– तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में व तनकी संख्या 03 से 05 प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में साबित होने से बाद वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की खाता संख्या 431 नया, 436 पुराना के हाल सर्वे नम्बरान् 5947 रकबा 0.11 बीघा, सर्वे नम्बर 5949 रकबा 0.1[illegible] बीघा, सर्वे नम्बर 5950 रकबा 0.08 बीघा, सर्वे नम्बर 5951 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5952 रकबा 0.07 बीघा, सर्वे नम्बर 5953 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5954 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5955 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5957 रकबा 0.13 बीघा, सर्वे नम्बर 5958 रकबा 0.04 बीघा, सर्वे नम्बर 5959 रकबा 0.04 बीघा, सर्वे नम्बर 5960 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5961 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5962 रकबा 0.07 बीघा, सर्वे नम्बर 5963 रकबा 0.15 बीघा, सर्वे नम्बर 5964 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5965 रकबा 0.03 बीघा, सर्वे नम्बर 5970 रकबा 0.10 बीघा, सर्वे नम्बर 5971 रकबा 0.09 बीघा, सर्वे नम्बर 5972 रकबा 0.11 बीघा, सर्वे नम्बर 5999 रकबा 0.09 बीघा कुल किता 22 रकबा 1.64 हे0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2025 को जारी किया गया।

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 00017/2011

उनवान

1. फकीरा पिता धुलिया जाति भील निवासी गढ़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

–: वादी

बनाम

1. स्व. भीखा पिता हकरू जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के वारिसान:–

   1/1. शंकर पिता भीखा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

   1/2. कंकु पत्नि स्व. भीखा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.) ।

–: प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 29.7.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की खाता संख्या 431 नया, 436 पुराना के हाल सर्वे नम्बरान 5947 रकबा 0.11 बीघा, सर्वे नम्बर 5949 रकबा 0.10 बीघा, सर्वे नम्बर 5950 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5951 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5952 रकबा 0.07 बीघा, सर्वे नम्बर 5953 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5954 रकबा 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5955 [illegible] बीघा, सर्वे नम्बर 5957 रकबा 0.13 बीघा, सर्वे नम्बर 5958 रकबा 0.04 बीघा, सर्वे नम्बर [illegible] रकबा 0.04 बीघा, सर्वे नम्बर 5960 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5961 [illegible] 0.06 बीघा, सर्वे नम्बर 5962 रकबा 0.07 बीघा, सर्वे नम्बर 5963 रकबा 0.15 बीघा, सर्वे नम्बर 5964 रकबा 0.05 बीघा, सर्वे नम्बर 5965 रकबा 0.03 बीघा, सर्वे नम्बर 5970 रकबा [illegible] बीघा, सर्वे नम्बर 5971 रकबा 0.09 बीघा, सर्वे नम्बर 5972 रकबा 0.11 बीघा, सर्वे नम्बर [illegible] रकबा 0.09 बीघा कुल किता 22 रकबा 1.64 हे0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 29.[illegible].2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 18:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner